डीजी-परिपत्र संख्या-04 /2025

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनाकः लखनऊः फरवरी 19 ,2025

विषयः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84, 85 एवं 86 में वर्णित प्राविधानों को अनुपालनार्थ आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदया/महोदय

आप सभी को अवगत कराना है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (जिसे आगे सुरक्षा संहिता कहा गया है) की धारा 84 के अनुसार परिभाषा और वर्गीकरणः

उद्घोषित व्यक्तिः

उद्घोषित व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो लेकिन जिसके फरार हो जाने अथवा अपनी पहचान छिपा लेने से वारंट का तामील करना असंभव हो रहा हो और जिसके विरुद्ध न्यायालय द्वारा उद्घोषणा प्रकाशित की गई हो।

उद्घोषित अपराधीः

यदि उद्घोषित व्यक्ति, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध का आरोपी है और उद्घोषणा के बाद भी पेश नहीं होता है, तो न्यायालय उसे उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है।

2. पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी न्यायालय के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां रखेगा जिसके द्वारा किसी अभियुक्त को, उद्घोषित व्यक्ति या उद्घोषित अपराधी, जैसी भी स्थिति हो, घोषित किया गया हो उनका विवरण (फोटो सहित) थाने के सम्बन्धित रजिस्टर में भी अंकित किया जाएगा। उद्घोषित व्यक्तियों और उद्घोषित अपराधियों की एक केन्द्रीकृत सूची जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा भी रखी जाएगी। इसी तरह, उद्घोषित व्यक्तियों और उद्घोषित अपराधियों की एक राज्य स्तरीय सूची राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा रखी जायेगी।

3. न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी होते ही, जांच अधिकारी द्वारा आरोपी की संपत्तियों की पहचान करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, निवास स्थान या अन्य उपयुक्त स्थानों पर गुप्त जांच की जा सकती है। आवश्यकतानुरूप निवास, कार्यालय या अन्य उपयुक्त स्थानों की विधिनुरूप तलाशी भी ली जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त सूचना की पुष्टि/सत्यापन संबंधित प्राधिकारियों से कराई जानी चाहिए और आवश्यक साक्ष्य पहले से ही प्राप्त कर लिए जाने चाहिए। साक्ष्यों की सांकेतिक सूची इस प्रकार हैः-

- बैंक खाता विवरण तथा वित्तीय और डिजिटल लेन-देन से संबंधित अन्य दस्तावेज।
- वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे रजिस्ट्री, खतौनी, नामांतरण प्रमाण पत्र, संपत्ति आईडी आदि।

- भवन से संबंधित दस्तावेज जैसे भू उपयोग अनुज्ञप्तिः पूर्णता प्रमाण-पत्र, भवन योजना आदि।
- आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुए।
- नकदी।
- बहुमूल्य कलाकृतियाँ।

ऐसा साक्ष्य, जिससे यह साबित होता हो कि अभियुक्त अपनी संपत्ति का पूरा या उसके कोई भाग का निपटारा करने वाला है या अपनी संपत्ति का पूरा या कोई भाग न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से हटाने वाला है, तो उसे भी जाँच अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. न्यायालय द्वारा सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी होते ही, जांच अधिकारी द्वारा धारा 85 सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय में आवेदन (अनुलग्नक के अनुसार) प्रस्तुत किया जाएगा। वह न्यायालय द्वारा अंतिम कुर्की आदेश पारित होने तक इस संबंध में न्यायालय की कार्यवाही का भी अनुसरण करेगा।

5. यदि उद्घोषित व्यक्ति या उद्घोषित अपराधी की संपत्ति भारत के बाहर स्थित है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे सुरक्षा संहिता की नव-प्रवृत्त धारा 86 में प्राविधान है। पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जैसी भी स्थिति हो, के पद से नीचे का न हो, सुरक्षा संहिता के अध्याय VIII में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति या उद्घोषित अपराधी की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए भारत के बाहर किसी न्यायालय/प्राधिकारी से सहायता मांगने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायालय से लिखित अनुरोध कर सकता है।

6. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84, 85 एवं 86 में वर्णित उपरोक्त प्राविधानों का भली-भाँति अध्ययन कर, जनपद में नियुक्त समस्त राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचनाधिकारियों की एक कार्यशाला के माध्यम से वर्णित उपरोक्तांकित प्राविधानों से अवगत कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

सलग्नकःयथोपरि ।

भवदीय

19.225

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.समस्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2.समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।